न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्रीकान्त व्यास, R.A.S.
राजस्व वाद संख्या : **24/12 (वाद)**
GCMS No. : 2012/00401

1. श्री कना पिता उंकार डांगी निवासी होली तह. मावली **मृतक के बजाय** :–
1/1 मु. सवागी बेवा कना डांगी निवासी होली तह. मावली।
1/2 श्री मांगीलाल पिता कना डांगी निवासी होली तह. मावली।
1/3 नारायणी पिता कना डांगी निवासी होली हाल रेड बांसलिया तह. मावली।
1/4 मीरा पिता कना डांगी निवासी होली हाल टेरीया तह. मावली।
1/5 अन्तु पिता कना डांगी निवासी होली हाल फतहपुरा तह. मावली।
1/6 सुन्दर पिता कना डांगी निवासी होली हाल फतहपुरा तह. मावली।
2. श्री मोडा पिता उंकार डांगी निवासी होली तह. मावली।
3. श्री रामा पिता उंकार डांगी निवासी होली तह. मावली।
4. श्री पुरा पिता उंकार डांगी निवासी होली तह. मावली।
5. श्री देवीलाल पिता उंकार डांगी निवासी होली तह. मावली।
6. श्री लच्छीराम पिता उंकार डांगी निवासी होली तह. मावली।

............वादीगण

बनाम्

1. श्री लोगर पिता पेमा भील निवासी होली तह. मावली।
2. श्री काना पिता पेमा भील निवसी होली तह. मावली।
3. श्री रूपा पिता पेमा भील निवासी होली तह. मावली।
4. श्री गंगाराम पिता पेमा भील निवासी होली तह. मावली।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री शंकरलाल डांगी, अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री रजनीकान्त मेहता, अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 04.08.2023

1. वादीगण द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा होली पटवार हल्का बांसलिया की आराजी नम्बर 998 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा भूमि स्थित हैं। उक्त आराजी के साबिक आराजी नम्बर [illegible] बीघा हैं हाल आराजी नम्बर 998

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.08.29 16:40:35 IST
Reason: SelfAttested

रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा भूमि है जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादीगण के पिता पेमा के नाम दर्ज हैं।

2. यह कि उक्त वर्णित आराजीयात का बिकावनामा प्रतिवादीगण के पिता पेमा ने वादीगण के पिता उंकार जी पिता चतराजी डांगी के पक्ष में सम्वत् 2023 तारीख 07.08.1949 को विक्रय कर उक्त आराजीयात का कब्जा वादीगण के पिता उंकार जी को सौंप दिया, तब से वादीगण के पिता उक्त आराजीयात पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे थे तथा वादीगण के पिता उंकार की मृत्यु के बाद उक्त आराजीयात पर वादीगण का कब्जा होकर काश्त कर रहे हैं। लेकिन राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादीगण के पिता पेमा पिता भोलाजी भील के नाम होने से तथा पेमा की मृत्यु आज से करीब एक–डेढ माह पूर्व होने से प्रतिवादीगण उक्त आराजीयात का नामान्तरकरण विरासत से अपने नाम खुलवा खुर्द बुर्द करना चाहते हैं जबकि प्रतिवादीगण को उक्त आराजीयात को खुर्द बुर्द करने का कोई हक व अधिकार नहीं है, क्योंकि प्रतिवादीगण के पिता पेमा जी ने उक्त आराजीयात का बिकावनामा वादीगण के पिता उंकार के पक्ष में लिख उक्त आराजीयात का कब्जा सौंप दिया हैं। इसलिए उक्त आराजीयात पर प्रतिवादीगण का न तो कब्जा है, न ही उक्त आराजीयात को खुर्द बुर्द करने का हक व अधिकार ही हैं।

3. यह कि उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण के पिता पेमाजी ने वादीगण के पिता उंकार जी के विरूद्व सन् 1979 में न्यायालय उप जिला कलक्टर, वल्लभनगर में उक्त बिकावनामें को रहननामा मानकर प्रतिवादीगण के पिता से रहन छुडाने हेतु वाद पेश किया था जिसके मुकदमा नम्बर 21 / 79 वाद हैं। उक्त वाद में तारीख 14.02. 1979 को प्रतिवादीगण के पिता पेमा व वादीगण के पिता उंकार के मध्य आपसी राजीनामा हुआ तथा उक्त राजीनामा में प्रतिवादीगण के पिता पेमा ने उक्त बिकावनामें को रहननामा नहीं मानकर बिकावनामा मानते हुए उक्त आराजीयात को वादीगण के पिता उंकार को सम्वत् 2003 तारीख 07.08.1949 को 950 / – नौ सौ पचास रूपये में बिकाव कर दी तथा कब्जा सौंप दिया हैं। इस तरह का राजीनामा कर उक्त वाद विड्रो किया तथा प्रतिवादी के पिता पेमा ने यह भी राजीनामें में स्वीकार किया कि उक्त बिकावनामें के आधार पर वादीगण के पिता उंकार वाद में वर्णित आराजीयात अपने नाम राजस्व रेकार्ड में कराने की कार्यवाही करें। इस पर न्यायालय द्वारा उक्त वाद को राजीनामें के आधार पर निरस्त किया, क्योंकि उक्त वाद रहन छुडाने बाबत् 43 आर.टी.एक्ट. का होने से वादीगण के पिता उंकार के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने की दाद नहीं होने के कारण उ[illegible] को निरस्त करते हुए न्यायालय द्वारा वादीगण के पिता उंकार को अलग से बिक[illegible] के आधार पर कार्यवाही करने का आदेश दिया है उसके बाद भी वादीगण उक्त आराजी पर शांतिपूर्वक, बिना किसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.08.29 16:40:35 IST
Reason: SelfAttested

रोकटोक के खुले रूप में सभी की जानकारी में कब्जा चला आ रहा है व वादीगण उक्त आराजी के खातेदार काश्तकार हैं।

4. यह कि प्रतिवादी के पिता पेमाजी द्वारा वादीगण के पिता उंकार के पक्ष में उक्त बिकावनामें के आधार पर तथा पूर्व वाद में प्रतिवादीगण के पिता पेमा व वादीगण के पिता उंकार के मध्य राजीनामें के अनुसार वाद में वर्णित आराजीयात वादीगण अपने नाम खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने के अधिकारी हैं। वर्तमान में जमीनों के भाव बढ जाने से प्रतिवादीगण के मन में फितूर आ जाने से उक्त आराजीयात को प्रतिवादीगण विरासत से अपने नाम करा खुर्द बुर्द करने पर उतारू है जबकि प्रतिवादीगण को उक्त आराजीयात को खुर्द बुर्द करने का कोई हक व अधिकार नहीं हैं। इसलिए प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराना भी आवश्यक हो गया हैं।

5. यह कि वाद कारण दिनांक 20.01.2012 को पैदा हुआ जब प्रतिवादीगण ने उक्त आराजीयात को विरासत से अपने नाम कराने की धमकी दी व वादीगण के नाम कराने से मना किया, तब पैदा हुआ व निरन्तर जारी हैं।

6. अतः प्रार्थना है कि वादी के पक्ष मे तथा प्रतिवादीगण के विरूद्व निम्न आशय की डिक्री प्रदान कराई जावे कि वाद में वर्णित आराजीयात का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे कि वाद में वर्णित आराजीयात को खुर्द बुर्द न करे, न किसी अन्य को हस्तान्तरित करे, न ही वादीगण के कब्जे काश्त में कोई रूकावट पैदा करे तथा वादीगण को शांतिपूर्वक उक्त आराजीयात का उपयोग उपभोग करने देवे तथा ऐसा अपने नौकर चाकर एजेन्ट से भी नहीं करावें।

7. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण ने समस्त लेख कपोल कल्पित मनगढन्त मिथ्या झूठे अंकित किये हैं। हम प्रतिवादीगण के पिता पेमा द्वारा दिनांक 07.08.1949 को वादीगण के पिता उंकार को कभी विक्रय नहीं की, न ही उनके पक्ष में कोई विक्रय पत्र ही निष्पादित किया गया हैं, न ही आधिपत्य दिया गया। मात्र हम अनुसूचित जन जाति के गरीब भील की सम्पति हडपने के लिए फर्जी नुमाईशी लिखापढी अवैद्य तरीके से कुटरचित की गई है जो अवैद्य होकर हम प्रतिवादीगण के मुकाबले स्वतः शून्य प्रभावी हो विधिविरूद्व हैं। वादग्रस्त भूमि पर हम प्रतिवादीगण के पिता पेमा जी जीवित रहे उनका स्वतन्त्र एकान्तिक आधिपत्य रहा, उनके मरणोपरान्त विरासत से भूमि हम प्रतिवादीगण के नाम पर विधि अनुरूप अंकित हुई हैं व हम प्रतिवादीगण का एकान्तिक आधिपत्य चला आ रहा है। वादीगण का अथवा उनके पिता उंकार का वादग्रस्त भूमि पर कभी आधिपत्य नहीं रहा, न हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.08.29 16:40:35 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीण के नाम भूमि बहैसियत खातेदार हैं। वादीगण का वादग्रस्त भूमि में कोई हक अधिकार नहीं है, न ही हो सकता हैं।

8. यह कि प्रतिवादीगण के पिता पेमा भील अनपढ ग्रामीण काश्तकार था वादी के पिता ने छलकपट पूर्वक लिखापढी करा न्यायालय वल्लभनगर में पेश कराई जो हम प्रतिवादीगण के मुकाबले अवैद्य हो शून्य प्रभावी हैं। पेमा भील ने कोई राजीनामा पेश नहीं किया इसी कारण से न्यायालय उप जिला कलक्टर वल्लभनगर ने राजीनामा निरस्त करते हुए वाद खारिज कर दिया। प्रतिवादीगण पेमा भील के नाम उक्त भूमि दर्ज चली आ रही थी इस बात की जानकारी वादीगण के पिता उंकार व उनके वारिसों वादीगण को थी फिर भी 33 वर्ष बाद बिना किसी अधिकार के यह वाद प्रस्तुत किया हैं जो बेरून मयाद होने से निरस्तनीय हैं। अवैद्य हस्तान्तरण के आधार पर वादीगण को किसी प्रकार का कोई राईट वादग्रस्त भूमि में वादीगण को कानूनन प्राप्त हो ही नहीं सकता हैं। वादीगण स्वर्ण जाति के होकर डांगी है तथा प्रतिवादीगण अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति होकर भील हैं।

9. यह कि प्रतिवादीगण के पिता पेमा व वादीगण के पिता उंकार के मध्य कभी भी विधि अनुरूप कोई राजीनामा नहीं हुआ है, मात्र प्रतिवादीगण के पिता जो अनपढ गरीब ग्रामीण काश्तकार था उसकी विवशता व गरीबी का नाजायज लाभ उठाने के लिए छल कपट व बेईमानी पूर्वक जबरन झूंठी लिखापढी कर पेश कराई है जो अवैद्य होकर शून्य प्रभावी हैं। वादग्रस्त भूमि के प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार होकर उनका एकान्तिक आधिपत्य चला आ रहा है जिससे खातेदार व कब्जेधारी प्रतिवादीगण के विरूद्व वादीगण किसी प्रकार से कोई अनुतोष वादग्रस्त भूमि बाबत् माननीय न्यायालय से प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। वादीगण सक्षम सिविल न्यायालय से ही ईकरार की पालना करा वांछित अनुतोष प्राप्त कर सकते है। माननीय न्यायालय से विक्रय ईकरार के आधार पर कोई अनुतोष वादग्रस्त भूमि बाबत् वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है, न ही वादीगण का वाद माननीय न्यायालय में विक्रय ईकरार के आधार पर चलने योग्य हैं।

10. यह कि दिनांक 20.01.2012 को हम प्रतिवादीगण के विरूद्व कोई बिनाय कारण पैदा नहीं होता है। मात्र दावा बनाने के लिए वादीगण ने मिथ्या वाद कारण अंकित किया हैं। वादीगण ने वाद बेरून मयाद पेश किया है जो स्वतः निरस्त योग्य हैं।

11. **विशेष कथन** प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण का यह वाद अनस्टेम्पड अनरजिस्टर्ड विक्रय ईकरार के आधार पर माननीय राजस्व न्यायालय में प्रस्तुत किया है जो विधिविरूद्व होने से चलने योग्य नहीं होकर निरस्तनीय योग्य हैं। प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार व कब्जेधारी है जिससे वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्व किसी प्रकार से कोई वांछित अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.08.29 16:40:35 IST
Reason: SelfAttested

नहीं होने से वाद वादीगण सव्यय निरस्त फरमाया जावें। वादीगण ने वाद पत्र के साथ वाद की द्वितीय प्रति मय शपथ पत्र वाद प्रस्तुत करने के समय वाद के साथ प्रस्तुत नहीं की है जबकि वाद की द्वितीय प्रति वाद के साथ प्रस्तुत करने का आज्ञापक प्रावधान है, उसकी वादीगण द्वारा पालना नहीं किये जाने से वाद वादीगण इसी कानूनी बिन्दू पर निरस्तनीय योग्य है। वादीगण द्वारा यह वाद प्रतिवादीगण के पिता के जीवित रहते सच्चाई का पता लग जाने से उसके जीवनकाल में नहीं प्रस्तुत कर विधि विरूद्व 33 वर्षों बाद जानकारी होते हुए पेश किया है जो बैरून मयाद होने से सव्यय निरस्तनीय हैं।

12. यह कि वादीगण ने लोभ लालच के वशीभूत हो मिथ्या कथनो के सहारे वाद पेश किया जो स्वतः निरस्तनीय योग्य हैं। वादीगण स्वर्ण जाति से होकर डांगी जाति से है व प्रतिवादीगण जाति से भील होकर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति है, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 बी के प्रावधानों के विपरित हस्तान्तरण के आधार पर कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। वादीगण के मौरूस ने छलकपट व बेईमानी से सम्पति को हडपने के लिए फर्जी लिखापढी व गरीब व्यक्तियों की सम्पति हडपने के लिए विधि विरूद्व वाद पेश किया जो निरस्तनीय हैं। वादग्रस्त भूमि का भूराजस्व भी हम प्रतिवादीगण ही राज्य सरकार में जमा कराते चले आ रहे हैं। वादीगण का वाद कब्जे के अभाव में किसी सूरत में चलने योग्य नहीं होने से निरस्तनीय योग्य हैं। अतः प्रार्थना है कि प्रतिवादीगण का वाद मय हर्जा खर्चा सहित खारिज फरमाया जावें।

13. प्रकरण में न्यायन निर्णयन हेतु निम्न तनकीयात कायम की गई :–

    1. आया मौजा होली पटवार मण्डल बांसलिया की आराजीयात जिसके साबिक आराजी नम्बर 739/1 रकबा 3 बीघा जिसके हाल आराजी नम्बर 998 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा भूमि जो कि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादीगण के पिता पेमा के नाम दर्ज है को वादीगण अपने नाम पर खातेदार काश्तकार घोषित कराये जाने के अधिकारी हैं।

    .....बजिम्मे वादीगण

    2. आया उक्त वर्णित आराजीयात का बिकावनामा प्रतिवादीगण के पिता पेमा ने वादीगण के पिता उंकारजी पिता चतराजी डांगी को सम्वत् 2003 दिनांक 07.08.1949 को किया, तब से ही वादीगण के पिता तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात् वादीगण उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं।

    .....बजिम्मे वादीगण

    3. आया प्रतिवादीगण के पिता पेमा ने दिनांक 07.08.1949 को वादीगण के पिता उंकारजी डांगी को कभी उक्त आराजीयात विक्रय नहीं की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.08.29 16:40:35 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति है इसलिए सम्पति हो हडपने के लिए कुटरचित लिखापढी की गई हैं। जो प्रतिवादीगणो के मुकाबले स्वतः शून्य प्रभावी हो विधि विरूद्व हैं।

...........बजिम्मे प्रतिवादीगण

4. आया वादीगण द्वारा वाद अनस्टेम्पड एवम अनरजिस्टर्ड विक्रय ईकरार के आधार पर पेश किया गया है जो कि खारिज योग्य हैं।

..........बजिम्मे प्रतिवादीगण

5. आया वादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 बी के प्रावधानों के विपरीत हस्तान्तरण के आधार पर कोई दाद पाने के अधिकारी नहीं हैं।

...........बजिम्मे प्रतिवादीगण

6. अनुतोष।

14.प्रकरण में साक्ष्य वादीगण प्रारम्भ की गई। साक्ष्य वादीगण शपथ पत्र पी.डब्ल्यू–1 श्री मोडा पिता उंकार, पी.डब्ल्यू–2 श्री रामा पिता उंकार, पी.डब्ल्यू–3 श्री रामा पिता काना, पी.डब्ल्यू–4 श्री नाना पिता पेमा के शपथ पत्र पेश किये। प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई।

15.प्रकरण में वादीगण द्वारा दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत् 2066 से 2069 प्रदर्श 1, सेटलमेन्ट विभाग की जमाबन्दी सम्वत् 2023 प्रदर्श 2, पर्चा खतौनी मौजा होली ठिकाना नाथद्वारा प्रदर्श 3, लिखापढी सम्वत् 2003 दिनांक 07.08.1949 छायाप्रति प्रदर्श 4ए, राजीनामा उप जिला कलक्टर वल्लभनगर द्वारा जारी सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श 5, उप जिलाधीश वल्लभनगर के प्रकरण सं. 21/79 वाद पेमा बनाम उंकार के निर्णय की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श 6, उपजिलाधीश वल्लभनगर के प्रकरण सं. 21/79 वाद पेमा बनाम उंकार की डिक्री की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श 7, पर्चा खतौनी मौजा होली ठिकाना नाथद्वारा प्रदर्श 8 पेश किये। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाबदावें के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नहीं कियें।

16.प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता वादीगण द्वारा दौराने बहस प्रकरण में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा नजीर RRT 2009(1) Page 177, RRD 1985 Page 98 पेश कर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण के पिता पेमा द्वारा दिनांक 07.08.1949 को वादीगण के पिता उंकार को कभी जमीन विक्रय नहीं की, ना ही कभी कोई विक्रय पत्र ही निष्पादित किया, ना ही आधिपत्य दिया, प्रतिवादीगण अनुसूचित जाति के व वादीगण स्वर्ण जाति के होने से धारा 42 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.08.29 16:40:35 IST
Reason: SelfAttested

के प्रतिकूल विक्रय होना बताकर लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा वादीगण का वाद खारिज किया जाने का निवेदन किया।

17. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में तनकीवार निर्णय निम्न हैः—

1. आया मौजा होली पटवार मण्डल बांसलिया की आराजीयात जिसके साबिक आराजी नम्बर 739/1 रकबा 3 बीघा जिसके हाल आराजी नम्बर 998 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा भूमि जो कि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादीगण के पिता पेमा के नाम दर्ज है को वादीगण अपने नाम पर खातेदार काश्तकार घोषित कराये जाने के अधिकारी हैं।

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर रहा। वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्यवादी शपथ पत्र पी.डब्ल्यू—1 श्री मोडा पिता उंकार, पी.डब्ल्यू—2 श्री रामा पिता उंकार, पी.डब्ल्यू—3 श्री रामा पिता काना, पी.डब्ल्यू—4 श्री नाना पिता पेमा पेश किये एवं वादपत्र के समर्थन में दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत् 2066 से 2069 प्रदर्श 1, सेटलमेन्ट विभाग की जमाबन्दी सम्वत् 2023 प्रदर्श 2, पर्चा खतौनी मौजा होली ठिकाना नाथद्वारा प्रदर्श 3, लिखापढी सम्वत् 2003 दिनांक 07.08.1949 छायाप्रति प्रदर्श 4ए, राजीनामा उप जिला कलक्टर वल्लभनगर द्वारा जारी सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श 5, उप जिलाधीश वल्लभनगर के प्रकरण सं. 21/79 वाद पेमा बनाम उंकार के निर्णय की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श 6, उपजिलाधीश वल्लभनगर के प्रकरण सं. 21/79 वाद पेमा बनाम उंकार की डिक्री की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श 7, पर्चा खतौनी मौजा होली ठिकाना नाथद्वारा प्रदर्श 8 पेश किये। जिसमें वादग्रस्त जमीन पेमा पिता भोला भील के नाम पर दर्ज थी, जिसे पेमा द्वारा उंकार को विक्रय कर दी। प्रतिवादीगण द्वारा भी अपने जवाबदावें की कलम सं. 4 में ''वादी के पिता ने छलकपट पूर्वक लिखापढी करा न्यायालय वल्लभनगर में पेश की'' का कथन किया इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादीगण ने भी उक्त लिखापढी होने के तथ्य को स्वीकार किया हैं। वादीगण उक्त लिखापढी के आधार पर अपने हिस्से की घोषणा कराना चाह रहे हैं। अतः वादीगण दस्तावेज प्रदर्श 4ए के आधार पर उक्त तनकी अपने पक्ष में साबित कराने में सफल रहे हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती हैं।

2. आया उक्त वर्णित आराजीयात [illegible]नामा प्रतिवादीगण के पिता पेमा ने वादीगण के पिता उंकारजी [illegible] को सम्वत् 2003 दिनांक 07.08.

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.08.29 16:40:35 IST
Reason: SelfAttested

1949 को किया, तब से ही वादीगण के पिता तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात् वादीगण उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं।

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर रहा। वादीगण द्वारा उक्त तनकी के समर्थन में गवाह पेश किये गवाह द्वारा वादग्रस्त आराजीयात पर कृषि करने का कथन किया हैं। अतः वादीगण उक्त तनकी को अपने पक्ष में आंशिक साबित कराने में सफल रहे हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में आंशिक निर्णित की जाती हैं।

3. आया प्रतिवादीगण के पिता पेमा द्वारा दिनांक 07.08.1949 को वादीगण के पिता उंकारजी डांगी को कभी उक्त आराजीयात विक्रय नहीं की। प्रतिवादीगण अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति है इसलिए सम्पति हो हडपने के लिए कुटरचित लिखापढी की गई हैं। जो प्रतिवादीगणो के मुकाबले स्वतः शून्य प्रभावी हो विधि विरूद्व हैं।

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर रहा। प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज अथवा गवाह पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो सके कि उक्त विक्रय 07.08.1949 को नहीं किया। वादीगण द्वारा उक्त तनकी अपने पक्ष में साबित कराने हेतु दस्तावेज प्रदर्श 5 से 7 पेश किये। अतः प्रतिवादीगण उक्त तनकी को अपने पक्ष में साबित कराने में असफल रहे हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती हैं।

4. आया वादीगण द्वारा वाद अनस्टेम्पड एवम अनरजिस्टर्ड विक्रय ईकरार के आधार पर पेश किया गया है जो कि खारिज योग्य हैं।

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर रहा। प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे उक्त तनकी को अपने पक्ष में साबित करा सके। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादीगण उक्त तनकी को अपने पक्ष में साबित कराने में असफल रहे हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती हैं।

5. आया वादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 बी के प्रावधानों के विपरीत हस्तान्तरण के आधार पर कोई दाद पाने के अधिकारी नहीं हैं।

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर रहा। प्रतिवादीगण द्वारा ऐसी कोई दस्तावेज नजीर आदि पेश नहीं की जिससे यह साबित हो सके कि उक्त विक्रय धा[illegible] के प्रावधानों के अन्तर्गत आकर अवैध हैं। चूंकि उक्त धारा 42 बी दिनांक [illegible] 1964 से लागू हुई है जबकि विक्रय दिनांक 07.08.1949 को हुआ। अतः उक्त विक्रय धारा 42बी के अन्तर्गत नहीं आता

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.08.29 16:40:35 IST
Reason: SelfAttested

हैं। अतः प्रतिवादीगण उक्त तनकी को अपने पक्ष में साबित कराने में असफल रहे हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती हैं।

18. हमने तनकीयों पर विवेचन किया। दस्तोवज का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रस्तुत नजीरों का सद्भावनापूर्वक अवलोकन किया। वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रतिवादी लोगर, काना, गंगाराम, धापुबाई, तलसीबाई, टमुबाई पिता पेमा भील के नाम दर्ज हैं। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण के पिता पेमा द्वारा दिनांक 07.08.1949 को वादीगण के पिता उंकार को विक्रय करने से वादग्रस्त भूमि को अपने नाम दर्ज कराने हेतु वाद प्रस्तुत किया हैं। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तोवज प्रदर्श 4ए, 5 से 7 से यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादीगण के पिता पेमा द्वारा वादीगण को पिता उंकार को वादग्रस्त भूमि का विक्रय किया हैं। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज उप जिला कलक्टर वल्लभनगर के प्रकरण संख्या 21/79 वाद पेमा बनाम उंकार निर्णय दिनांक 14.02.1979 प्रदर्श 6 पेश किया जिसमें प्रतिवादीगण के पिता पेमा ने स्वयं वादग्रस्त भूमि को वादीगण के पिता उंकार को विक्रय करने के तथ्य को न्यायालय में राजीनामा पेश कर स्वीकार किया था। दस्तावेज प्रदर्श 6 अनुसार प्रतिवादीगण के पिता द्वारा वादग्रस्त भूमि को वादीगण के पिता के पक्ष में अपनी सहमति देकर वादग्रस्त भूमि को वादीगण के पिता के नाम करने हेतु सहमति भी व्यक्त की हैं। प्रतिवादीगण जाति से भील होकर अनुसूचित जनजाति वर्ग में आते हैं, जबकि वादीगण डांगी होकर स्वर्ण जाति के है। इसलिए सर्वप्रथम हमे यह तथ्य देखना है कि क्या वादीगण उक्त वादग्रस्त भूमि को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 बी का उल्लंघन किये बिना घोषणा कराने की अधिकारीणी है ? हमने इस सम्बन्ध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 बी का अवलोकन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 बी 04.05.1964 से लागू हुई जबकि प्रतिवादीगण के पिता द्वारा वादीगण के पिता को विक्रय दिनांक 07.08.1949 को किया, इससे यह जाहिर होता है कि धारा 42 लागू होने से पहले ही उक्त विक्रय हो चुका हैं। अतः धारा 42 बी लागू होने से पहले विक्रय होने से इस प्रकरण में धारा 42 बी का किसी प्रकार से उल्लंघन होना नहीं पाया जाता हैं। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नजीर के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि RRT 2009(1) Page 177 – “Rajasthan Tenancy Act, 1955-Sec. 42-Transfer of land in favour of member of non S.C./S.T.-Land transferred in 1958 & provision of Sec. 42 in-corporated in 1964-No retrospective effect given-Held, Provisions of Sec. 42 would not apply & transfree cannot be deprived from the property.”, RRD 1985 Page 98 “Raj. Tenancy Act, sec. 42-Amendment of sec. 42 in 1964 not retrospective and as such transfer of Agrl. land by scheduled caste tenant to non-scheduled caste tenant prior to amendment, valid, (Paras 2&3) The only question which is to be considered whether the alleged transfer by

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.08.29 16:40:35 IST
Reason: SelfAttested

scheduled castes tenant to a non scheduled castes tenant was before or after the amendment of Section 42 of the Rajasthan Tenancy Act. Admittedly, the amendment was made in 1964 R.L.W. at page 512 that the amendment is not retrospective. It cannot be argued that if the amendment is not retrospective the amendment will apply in respect of transaction completed before the amendment came into force." "In that view of the matter the order of the Member, Board of Revenue, cannot be sustained and I, therefore quash the order and make the rule absolute. There will be no order as to costs." उक्त नजीर इस प्रकरण पर चस्पा होती हैं। अतः ऐसी स्थिति में वादीगण विक्रय पत्र के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने के अधिकारीणी हैं।

19. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा होली पटवार हल्का बांसलिया की आराजी नम्बर 998 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा भूमि विक्रय पत्र दिनांक 07.08.1949 के आधार पर पेमा (वर्तमान खातेदार लोगर, काना, गंगाराम, धापुबाई, तलसीबाई, टमुबाई पिता पेमा भील) के बजाय वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 04.08.2023 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.08.29 16:40:35 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास श्रीकान्त व्यास, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री कना पिता उंकार डांगी निवासी होली तह. मावली **मृतक के बजाय** :–
1/1 मु. सवागी बेवा कना डांगी निवासी होली तह. मावली।
1/2 श्री मांगीलाल पिता कना डांगी निवासी होली तह. मावली।
1/3 नारायणी पिता कना डांगी निवासी होली हाल रेड बांसलिया तह. मावली।
1/4 मीरा पिता कना डांगी निवासी होली हाल टेरीया तह. मावली।
1/5 अन्तु पिता कना डांगी निवासी होली हाल फतहपुरा तह. मावली।
1/6 सुन्दर पिता कना डांगी निवासी होली हाल फतहपुरा तह. मावली।
2. श्री मोडा पिता उंकार डांगी निवासी होली तह. मावली।
3. श्री रामा पिता उंकार डांगी निवासी होली तह. मावली।
4. श्री पुरा पिता उंकार डांगी निवासी होली तह. मावली।
5. श्री देवीलाल पिता उंकार डांगी निवासी होली तह. मावली।
6. श्री लच्छीराम पिता उंकार डांगी निवासी होली तह. मावली।

.....वादीगण

बनाम्

1. श्री लोगर पिता पेमा भील निवासी होली तह. मावली।
2. श्री काना पिता पेमा भील निवसी होली तह. मावली।
3. श्री रूपा पिता पेमा भील निवासी होली तह. मावली।
4. श्री गंगाराम पिता पेमा भील निवासी होली तह. मावली।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा न0 : 24/12 (वाद) GCMS No. : 2012/00401

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु श्रीकान्त व्यास R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा होली पटवार हल्का बांसलिया की आराजी नम्बर 998 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा भूमि विक्रय पत्र दिनांक 07.08.1949 के आधार पर पेमा (वर्तमान खातेदार लोगर, काना, गंगाराम, धापुबाई, तलसीबाई, टमुबाई पिता पेमा भील) के बजाय वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 04.08.2023 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.08.29 16:40:35 IST
Reason: SelfAttested

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली